328

संख्या– /XXVIII–4–2014–72/2012

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 24 जुलाई, 2014

**विषय :– स्मार्ट कार्ड योजना के प्रबन्धन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5प/1/25/2014–15/18806, दिनांक 17.06.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्मार्ट कार्ड योजना को सुचारू रूप से कियान्वित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राविधानित धनराशि रूपये 1,00,00,000.00(रूपये एक करोड़ मात्र) के सापेक्ष रू0 16.00 लाख (रूपये सोलह लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। धनराशि व्यय करते समय यह सुनिशिचित कर लिया जाय कि यू0–हैल्थ स्मार्ट कार्ड योजनान्तर्गत अनुमोदित प्रकिया व दिशा–निर्देशों/प्रतिबन्धों की अनुपालन की गयी है।
2. धनराशि का आहरण/व्यय सम्बन्धित वित्तीय हस्त–पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत एवं शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध में योजना संचालन के सम्बन्ध में यथा अपेक्षित समस्त प्रकियागत कार्यवाही पूर्ण होने की भी पुष्टि कर ली जायेगी।
3. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
4. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग–1 के शासनादेश संख्या–515/XXVIII(1)/2008, दिनांक 28.07.2009 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2015 तक कर लिया जायेगा । यदि उक्त तिथि को कोई धनराशि बचती हो, तो उसे शासन को समर्पित किया जायेगा।

6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012, दिनांकः 28.03.2012 एवं शासनादेश संख्या–193/XXVII(1)/2012, दिनांकः 30.03.2012 एवं शासनादेश संख्या–321/XXVII(1)/2012, दिनांकः 19.06.2012 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति, 001–निदेशन तथा प्रशासन–05–चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु स्मार्ट कार्ड योजना मानक मद, 42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या–88(P)/XXVIII(3)2014-15, दिनांकः 24 जुलाई, 2014 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

**संलग्नकः अलोटमेंट आई0डी0की प्रति।**

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

**संख्या– 901 (1) /XXVIII–4–2014–72/2012 तद्दिनांक ।**

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, पी.पी.पी., चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून।
4. राज्य नोडल अधिकारी, यू0 हैल्थ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/चिकित्सा–5/एन0आई0सी0 ।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।